न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री बनवारी लाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
019/2018	23-02-2018	30-11-2018

अनवान

श्री मादुलाल मु0 पिता नारु जी जाति अहीर आयु बालिग निवासी लालपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

वादी

बनाम

1. श्री भैरू पिता मांगु जाति अहीर निवासी लालपुरा तहसील राशमी
2. श्री शंकर पिता मांगु जाति अहीर निवासी लालपुरा तहसील राशमी
3. श्रीमती जेती बाई पुत्री देवजी पत्नि किशना जी जाति अहीर निवासी लालपुरा तहसील राशमी हाल निवासी उपरेडा तहसील राशमी
4. श्री उदा पिता देवजी जाति अहीर निवासी लालपुरा तहसील राशमी
5. श्री भगवाना पिता देवजी जाति अहीर निवासी लालपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री भैरुलाल अहीर वादी।
एकतरफा प्रतिवादी।

–:: अन्तर्गत धारा 53 राज0टिनेन्सी एक्ट बाबत् आराजीयात का बंटवाडा करवाया जाने ::–

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के बाबत् विभाजन आराजीयात के पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम लालपुरा पटवार हल्का सांखली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ के बेरून हल्का आबादी में आ.नं. 74 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा लगानी 3 रुपया 61 पैसा तथा आ0नं0 75 रकबा 6 बीघा लगानी 4 रुपया 20 पैसा स्थित होकर मुझ वादी व प्रतिवादीगण व उनके पूर्वत पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर प्रमाण स्वरुप खाता की जमाबंदी की प्रमाणित नकल पेश है। यह कि राजस्व अभिलेख में दर्ज उक्त वर्णित आराजीयात में मुझ वादी व मेरी माता मु0 रामी बाई का आधा हिस्सा दर्शाया गया है मेरी माता रामीबाई का निधन हो गया है जिससे मुझ वादी का हिस्सा मृतक माता रामी बाई का भी मुझ वादी में निहित है तथा राजस्व अभिलेख में खाताधारी देवजी की मृत्यु हो चुकी है तथा मृतक देवजी के मृत्यु के समय वैद्य वारिस पत्नि

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हगामी पुत्री जेती व पुत्र उदा भगवाना थे जिन में से देवजी की पत्नि हगामी बाई की मृत्यु हो चुकी है जिससे देवजी के वैध वारिसान को प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया गया है। उक्त आराजीयात मुझ वादी व प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है मेरे पिता नारू जी के द्वारा काफी समय पहले आराजी संख्या 75 रकबा 6 बीघा खरीद के उस पद काफी लागत लगा कर उपजाउ बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा काफी समय पूर्व आराजी संख्या 74 पर आराजी खरीद के समय से ही कब्जा बरकरार रूप से बिना किसी रूकावट बाधा के निर्विवादित रूप से चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण का भी खरीद के समय के ही कब्जा आराजी संख्या 74 पर चला आ रहा है। हमारे आपस में मौके पर कई वर्षो पहले से ही बंटवाडा हो गया है लेकिन राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा नहीं होने से विवाद बना रहता है जिसके लिए प्रतिवादीगण को भी कहा कि आपस में सहमति से बंटवाडा कर लिया जावें जिससे कोई विवाद न हो लेकिन प्रतिवादीगण ऐसा करने में आना कानी कर रहे है जिससे वाद पेश करना आवश्यक हो गया है प्रतिवादीगण ने दिनांक 09.02.2018 को इंकार कर दिया जिससे वाद हेतुक पैदा हुआ है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाके ग्राम लालपुरा पटवार हल्का सांखली तहसील राशमी के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 74 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा व आराजी संख्या 75 रकबा 6 बीघा का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के मौके पर हक हिस्सा कब्जा को मध्य नजर रखते हुए अलग–अलग खातेदारी से दर्ज करवाया जाकर राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में अंकन करवाया जावें। वाद व्यय व अन्य उचित अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे मुझ वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

इस पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों का जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत पत्रावली को कैम्प कॉर्ट सांखली में रखा गया। वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र सूचित किया गया। पत्रावली में लोक अदालत की भावना से वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर हक हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा किये

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाने बाबत् तहसीलदार राशमी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार राशमी द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2018/ 735 दिनांक 15.11.2018 से बंटवाडा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो रिकार्ड पर है। दिनांक 30.11.2018 को अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि बंटवाडा सही है एवं स्वीकार है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादी द्वारा अंतिम डिक्री जारी किये जाने की ईश्तदुआ की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया।

हाजिर विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा बहस पत्रावली की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सुनी गई बहस पत्रावली का मनन किया गया। तहसीलदार राशमी द्वारा तैयार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता हैं एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा लालपुरा पटवार हल्का सांखली तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 75 रकबा 6-00 बीधा लगानी 4.20 रूपया का मादुलाल पु0 नारू सा0देह, आराजी संख्या 74 रकबा 5-03 बीघा लगानी 3.61 रूपया का भैरू शंकर पिता मांगु अहीर 1/2 सा0देह उदा भगवाना पिता देवजी अहीर 1/3 सा0देह जेती पुत्री देवजी पत्नि किशना अहीर 1/6 सा0 उपरेडा को तन्हॉ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। वकील वादी ने अंतिम डिक्री हेतु कॉर्ट फीस पेश की है जो शामिल पत्रावली रहें। तद्नुसार पर्चा अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर रहें।

यह निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बनवारी लाल)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई
(रूल्स 18-21)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

श्री मादुलाल मु0 पिता नारू जी जाति अहीर आयु बालिग निवासी लालपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

वादी

बनाम

1. श्री भैरू पिता मांगु जाति अहीर निवासी लालपुरा तहसील राशमी
2. श्री शंकर पिता मांगु जाति अहीर निवासी लालपुरा तहसील राशमी
3. श्रीमती जेती बाई पुत्री देवजी पत्नि किशना जी जाति अहीर निवासी लालपुरा तहसील राशमी हाल निवासी उपरेडा तहसील राशमी
4. श्री उदा पिता देवजी जाति अहीर निवासी लालपुरा तहसील राशमी
5. श्री भगवाना पिता देवजी जाति अहीर निवासी लालपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री भैरूलाल अहीर वादी।
एकतरफा प्रतिवादी।

-:: अन्तर्गत धारा 53 राज0टिनेन्सी एक्ट बाबत् आराजीयात का बंटवाडा करवाया जाने ::-

प्रकरण संख्या :- 019/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू श्री भैरूलाल अहीर वकील वादी एवं एकतरफा प्रतिवादी की उपस्थिति में मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता हैं एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा लालपुरा पटवार हल्का सांखली तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 75 रकबा 6-00 बीघा लगानी 4.20 रूपया का मादुलाल मु0 नारू सा0देह, आराजी संख्या 74 रकबा 5-03 बीघा लगानी 3.61 रूपया का भैरू शंकर पिता मांगु अहीर 1/2 सा0देह उदा भगवाना पिता देवजी अहीर 1/3 सा0देह जेती पुत्री देवजी पत्नि किशना अहीर 1/6 सा0 उपरेडा को तन्हॉ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पर्चा अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बनवारी लाल)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(बनवारी लाल)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official